

13. आयोग के द्वारा अनुदत्तर रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विषिष्टियां ।	इस विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को अपनी ओर से कोई रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता है । पूर्व सैनिकों को ऐसी जो सुविधायें विभिन्न अन्य विभागों द्वारा प्रदान की जाती हैं, उन्हें प्राप्त करने में यह विभाग पूर्व सैनिकों की सहायता करता है ।
---	---